भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES भारत पाँच रुपये FIVE RUP. भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES

(194)

समक्ष : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म0प्र0)

पुर्नविलोकन क /2016 निग 3216 - II/16

गीताबाई पत्नी श्री मेहरवान सिंह पुत्री हरिराम मॉ प्रेमवाई निवासी ग्राम बडखेडा तहसील मुगावली जिला अषोकनगर

.........निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1.श्रीमान अपर आयुक्त महोदय संभाग ग्वालियर

2. श्रीमान कलेक्टर महोदय अषोकनगर ।

............अनावेदकगण

द्वारा आज दि. 20-9-16 को प्रस्तुत

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुर्नविलोकन आवेदन पत्र म.प्र. भू–राजस्व सहिता , 1959 की धारा 51 के तहत विरूद्ध राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर के निगरानी प्रकरण क 1291/दो/2009 अशोकनगर में पारित आदेश दिनांक 06.07.2016(सदस्य श्री एम.के. सिंह साहब) के विरूद्ध ।

श्रीमान जी,

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्नानुसार है। :–

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है–

1. यहकि, आवेदिका ग्राम बडखेडा तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर की मूल स्थाई निवासी होकर गरीब रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करने वाली महिला है। ग्राम बडखेडा काक्षी मुगांवली जिला अशोकनगर सर्वे कमाक 33/1 मे से रकवा 3.135 हेक्टेयर कृषि भूमि पर आवेदिका का 30–35 वर्ष से पुश्नैनीय कव्जा है आवेदिका के पूर्व उक्त कृषि भूमि पर आवेदिका के स्व0 पिता हरिया उर्फ हरीराम काश्तकारी करते थे । पिता हरिया की मृत्यु के पश्चात आवेदिका व उसकी मॉ प्रेमवाई करते थे एक मात्र वारिस भी है। उक्त भूमि पर काश्तकारी कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करती है गरीब हैं उक्त भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि नही है। आवेदिका के पिता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी मुगांवली के समक्ष म.प्र. भू राज्य संहिता 1959 की धारा 57 कें अतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर मांगी की गई कि ग्राम बरखेडा काछी स्थित भूमि सर्वे कमाक 33 रकवा 3.135 हे. पर जमीदारी काल से कव्जा चला आ रहा है जिसके कारण उन्हे भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये जावे अनुविभागीय अधिकारी मुगावली द्वारा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु –3216–दो/16 जिला –अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभ आदि के हस्ताक्षर
22.6.17	आवेदक के अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित। के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण में प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। 2– यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1291–दो/09 में पारित आदेश दिनांक 06.7.16 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 3216–दो/16 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। 4– आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 1291–दो/09 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 06.7.16 से किया जा चुका है। 5– रिव्यु प्रकरण कमांक 3216–दो/16 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:– अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय	

जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब—अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

स— कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है, उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई ठोस आधार नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राहय किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों। प्रकरण दा0 द0 हो। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य